राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1106/2025 प्रेमचन्द बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 21/11/2025 को पेश हो।	
21/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 24/06/2025 पारित करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता निजी खातेदारी भूमि नही होना धारित करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ख़ारिज फरमा दिया गया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय की प्रति अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 2010 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से उक्त प्रार्थना पत्र को सही रूप से ख़ारिज किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24/06/2025 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	